न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 14/2020 **दायर तारीख :–** 27-02-2020

1. महिपाल सिंह
2. नन्द सिंह } पुत्रान स्व. समुद्र सिंह
3. रोहिताश सिंह
4. शोभाग कंवर पत्नि स्व. समुद्र सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. लादू सिंह } पुत्रान श्योनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द
2. मलखान सिंह } तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. सुगन कंवर पुत्री स्व0 श्योनारायण सिंह पत्नि आनंद सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी मु.पो. गोला तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।
4. सुरेश कंवर पुत्री स्व0 श्योनारायण सिंह पत्नि चमन सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी मु.पो. गोला तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

6. पूरण सिंह पुत्र स्व0 कान सिंह
7. सन्तोष कंवर पत्नि स्व0 हनुमान सिंह पुत्र कान सिंह } समस्त जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तह0 विराटनगर जयपुर
8. मुकेश सिंह पुत्र स्व0 हनुमान सिंह
9. आशा कंवर पुत्री स्व0 हनुमान सिंह पत्नि भंवर सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी गोला तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।
10. पुष्पा कंवर पत्नि स्व0 मनोज सिंह पुत्र हनुमान सिंह
11. अनिल सिंह पुत्र स्व0 मनोज सिंह } नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता
12. राशि कंवर पुत्र स्व0 मनोज सिंह } पुष्पा कंवर पत्नि स्व. मनोज सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत हक घोषणा खातेदारी

भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता वादीगण
श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

निर्णय

निर्णय दिनांक : 14.07.2020

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम लुहाकना खुर्द के हाल खसरा नंबर 342/0.01, 343/0.58, 344/0.60, 345/0.35, 346/0.65, 347/0.39, 348/0.32, 349/0.34, 350/0.03, 351/0.60, 352/0.64, 353/0.08 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर भूमि वादीगण, प्रतिवादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि अलमशहूर चाह गुमान सिंह वाली के नाम एवं अन्य खातेदारान के नाम जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। आराजी हाल खसरा नंबर 342/0.01, 343/0.58, 344/0.60, 345/0.35, 346/0.65, 347/0.39, 348/0.32, 349/0.34, 350/0.03, 351/0.60, 352/0.64, 353/0.08 हैक्टेयर के साबिक खसरा नंबर 171 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 172 रकबा 16 बिस्वा, 173 रकबा 2 बीघा, 178 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, 179 रकबा 3 बिस्वा, 180 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा थे, जिसकी खातेदारी श्योनारायण सिंह पुत्र गोविंद सिंह हिस्सा 1, दुर्जन सिंह पुत्र सुजान सिंह हिस्सा 1, मूल सिंह पूत्र माधोसिंह हिस्सा 1, उमराव सिंह पुत्र सरदार सिंह हिस्सा 1 कौम राजपूत साकिन दे हके नाम से रही है। एवं साबिक खसरा नंबर 171 व 172 के साबिक खसरा नंबर 139 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, 173 का साबिक खसरा नंबर 141 रकबा 2 बीघा, 178 का साबिक खसरा नंबर 145 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, 179 का साबिक खसरा नंबर 147 रकबा 3 बिस्वा, 180 का साबिक खसरा नंबर 148 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा थे, इन साबिक खसरा नंबरों की खातेदारी माधो सिंह व गोम सिंह(गोविन्द सिंह) व सिरदार सिंह व हरिसिंह पिता चान्द सिंह बराबर हिस्सा बराबर दुर्जन सिंह वल्द सुजान सिंह हिस्सा 1 कौम राजपूत साकिन दे हके नाम रही है। वाद पत्र में सजरा खानदान एवं साबिक खसरा नबरान की खातेदारी से स्पष्ट है कि वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज रहे चांद सिंह के 7 लडके सुजान सिंह, हरसिंह, माधोसिंह, सवाई सिंह, भरताज सिंह, सरदार सिंह, गोविन्द सिंह हुए थे। साबिक खसरा नबरान के साबिक खसरा नंबर 139, 141, 145, 147, 148 के खातेदारों के संबंध मे मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा लुहाकना नंबर हदबस्त 70 तहसील बैराठ निजामत तोरावटी राज सवाई जयपुर संवत् 1988 के खतौनी नंबर 85 के खातेदारी के कालम नंबर 3 मे जो खातेदार अंकित है उनमें चान्द सिंह के लडके माधोसिंह, गोम सिंह(गोविन्द सिंह), सिरदार सिंह, हरिसिंह पिता चान्द सिंह ब हिस्सा बराबर तथा एक हिस्सा मे चान्द सिंह के लडके सुजान सिंह के फौत हो जाने के बाद उसके लडके दुर्जन सिंह के नाम उसके हिस्से की खातेदारी अंकित हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि के पांच हिस्सेदार थे, इन पांच हिस्सेदार में एक हिस्सेदार हरिसिंह के नाऔलाद फौत हो जाने तथा चान्द सिंह के दो अन्य लडके सवाई सिंह व भरताज सिंह के भी नाऔलाद फौत हो जाने से चान्द सिंह के चार लडकों सुजान सिंह, माधो सिंह, सरदार सिंह, गोविन्द सिंह के ही औलाद चली इस कारण उक्त खातेदारी भूमि के बाद से चार हिस्से हुए। साबिक सैटलमैंट के पहले ही चान्द सिंह के पुत्र सुजान

उपखण्ड अधिकारी

सिंह, माधो सिंह, सरदार सिंह, गोविन्द सिंह के फौत हो जाने के कारण साबिक सैटलमेंट कार्यवाही के बाद साबिक खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2027 की जमाबंदी में उक्त चारों सुजान सिंह, माधोसिंह, सरदार सिंह व गोविन्द सिंह के बडे लड़कों के नाम ही क्रमशः 1/4, 1/4 भाग की खातेदारी अंकित हो गई, जबकि कब्जा काश्त सभी का रहा एवं आज भी मौके पर है। उक्त सभी दोनों पक्षकारों का अपने–अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है। यह है कि साबिक सैटलमेंट में उक्त भूमि की खातेदारी गोविन्द सिंह के बडे पुत्र श्योनारायण के नाम हिस्सा 1/4, सुजान सिंह के वारिस रहे दुर्जन सिंह के नाम हिस्सा 1/4, माधो सिंह के एम मात्र पुत्र मूलसिंह के नाम 1/4, तथा सरदार सिंह के बडे पुत्र उमराव सिंह के नाम हिस्सा 1/4 भाग की खातेदारी अंकित हुई बाद में खातेदारी मूलसिंह पुत्र माधोसिंह के भी नाऔलाद फौत हो जाने से इसके 1/4 हिस्से की भूमि के तीन हिस्से किए, जिसमें से एक हिस्सा दुर्जन सिंह पुत्र सुजान सिंह का रहा, जिसके दो लड़के हुए, जिनमें एक बुद्वासिंह के अविवाहित फौत हो जाने के बाद एक मात्र रहे वारिस पाबूदान सिंह पुत्र दुर्जन सिंह के नाम उक्त वाद ग्रस्त सम्पूर्ण भूमि का हिस्सा 1/3 यानि 1.53 हैक्टेयर भूमि आज भी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। एवं मौके पर काबिज काश्त है, इसी प्रकार एक हिस्सा सरदार सिंह के बड़े लडके उमराव सिंह के नाम 1/4 हिस्सा पहले था और बाद में मूल सिंह के 1/4 हिस्से में से तीसरा हिस्सा और मिला, इस प्रकार इसका भी सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 1.53 हैक्टेयर भूमि अंकित हुआ, परन्तु उमराव सिंह के भी नाऔलाद फौत हो जाने के कारण उसके हिस्से 1/3 भाग की भूमि उसके दोनों छोटे भाईयों हजारी सिंह व ओंकार सिंह के नाम बराबर–बराबर हिस्सों में यानि उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में दोनों भाईयों के नाम 0.76, 0.76 हैक्टेयर भूमि दर्ज हुई जो आज भी राजस्व रिकॉर्ड में उनके फौत हो जाने के बाद उनके वारिसान के नाम अंकित है। परन्तु यहां पर श्योनारायण सिंह ने चालाकी का काम करते हुए राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके वास्तविक तथ्यों को छुपाकर बेईमानी की नियम से कार्य करते हुए अपने छोटे भाईयों को धोखा देकर अपना हिस्सा 1/4 भाग यानि 1.14 हैक्टेयर को तो अपने नाम सुरक्षित रखा जो अब श्योनारायण सिंह के फौत हो जाने के बाद प्रतिवादीगण के नाम अंकित है। तथा मूलसिंह के हिस्से में जो गोविन्द सिंह पुत्र चान्द सिंह के हिसाब से पैत्रिक भूमि होने के कारण जो तीसरे हिस्से की भूति 0.3825 हैक्टेयर मिली थी, उसके तीन हिस्से पैत्रिक भूमि के हिसाब से करते हुए एक हिस्से में तो यानि 0.1275 हैक्टेयर भूमि में अपना स्वयं का नाम अंकित करवाया जो बाद में श्योनारायण सिंह के फौत हो जाने के बाद अब राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम अंकित है तथा दूसरे हिस्से में अपने छोटे भाई समुद्र सिंह के फौत हो जाने के बाद उसके वारिसान यानि वादीगण का नाम 0.1275 हैक्टेयर तथा तीसरे हिस्से में तीसरे नंबर के छोटे भाई कानसिंह के वारिसान यानि तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम 0.1275 हैक्टेयर भूमि अंकित करवाते हुए बराबर–बराबर हिस्से किए इस प्रकार उकत वाद ग्रस्त सम्पर्ण भूमि में श्योनारायण सिंह के नाम हिस्सा 1/4 भाग की 1.1475 हैक्टेयर भूमि तो अलग से तथा मूलसिंह के हिस्से में से भी अलग से हिस्सा और अंकित करवाते हुए 0.1275

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हैक्टेयर भूमि और राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम अंकित करवा ली थी, जो अब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, जबकि प्रतिवादीगण के पिता श्योनारायण सिंह को चाहिए था कि वह भी अपनी उक्त सम्पूर्ण वाद ग्रस्त पैतृक भूमि के हिस्सा 1/4 भाग की भूमि तथा मूल सिंह के हिस्से में से मिली भूमि को मिलाकर हिस्सा 1/3 करता एंव फिर उसके तीन हिस्से करके अपने स्वयं के नाम व अपने दोनों छोटे भाईयों के नाम या उसके वारिसान के नाम अंकित करवाता जबकि मौके पर आज भी उक्त सम्पर्ण वाद ग्रस्त भूमि के हिस्से 1/3 भाग की भूमि पर वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण अपने 1/3, 1/3 हिस्सेनुसार यानि हिस्सा 1/9 भाग की भूमि पर वादीगण तथा 1/9 भाग की भूति प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 तथा हिस्सा 1/9 भाग की भूमि पर तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं। यह है िकइस प्रकार उक्त पैतृक खातेदारी भूमि के हाल खसरा नंबर 342/0.01, 343/0.58, 344/0.60, 345/0.35, 346/0.65, 347/0.39, 348/0.32, 349/0.34, 350/0.03, 351/0.60, 352/0.64, 353/0.08 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर ग्राम लुहाकना खुर्द में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज गोविन्द सिंह पुत्र चांद सिंह के हिस्सा 1/3 रहा है यानि उसके हिस्से में 1.53 हैक्टेयर भूमि आती है इसमें से गोविन्द सिंह के तीन लडके श्योनारायण सिंह (प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता) समुद्र सिंह (वादीगण संख्या 1 लगायत 3 [redacted] पिता व वादी संख्या 4 का पति) तथा कान सिंह (तरतीबी प्रतिवादीगण का पूर्वज) इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादीगण के हिस्से 1/9 में 0.51 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादीगण के 1/9 में 0.51 हैक्टेयर भूमि तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से 1/9 में 0.51 हैक्टेयर भूमि आती है एवं इसी प्रकार मौके पर काबिज काश्त है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम उक्त सम्पूर्ण भूमि हिस्से 1/4 भाग की भूमि यानि 1.1475 हैक्टेयर तो अलग से रही है तथा मूलसिंह के हिस्से में से जो तीसरा हिस्से कह भूमि पैतृक भूमि के हिसाब से 0.3825 गोविन्द सिंह पुत्र चांद सिंह के हक हिस्से में आई उसमें से हिस्सा 1/3 यानि 0.1275 हैक्टेयर भूमि, इस प्रकार कुल 1.1475+ 0.1275 =1.275 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व अंकित राजस्व रिकॉर्ड हुई है जो कि गलत है, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हक हिस्से में उक्त सम्पूर्ण वाद ग्रस्त भूमि में 1/9 हिस्सा बनता है, जिसके हिसाब से 0.51 हैक्टेयर भूमि आती है इस प्रकार वादीगण के हक व हिस्से की 0.3825 हैक्टैयर भूमि तथा तरतीबी प्रतिवादीगण [redacted] हक हिस्से की 0.3825 हैक्टेयर भूमि यानि दोनों की 0.765 हैक्टेयर भूमि को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम हक हिस्से से ज्यादा अंकित की है को दुरूस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि का वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाया जाना आवश्यक है। यह है कि हाल खसरा नंबर 342/0.01, 343/0.58, 344/0.60, 345/0.35, 346/0.65, 347/0.39, 348/0.32, 349/0.34, 350/0.03, 351/0.60, 352/0.64, 353/0.08 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर में अब पैतृक भूमि के हिसाब से वादीगण, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हिस्से में 1/3 यानि 1.53 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगर (जयपुर)

भूमि आजी है इसमें से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की 0.51, 0.51 हैक्टेयर भूमि पर मोके पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण भी 0.51 हैक्टेयर भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है इसी पूर्वजों के समय से हुए बाहमी बंटवारे के हिसाब से मोके पर उक्त दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है वादीगण की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कभी कोई संबंध नहीं रहा है एवं ना ही आज भी है। यह है कि प्रतिवदी लादू सिंह व मलखान सिंह के द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश वाद उनवानी लादूसिंह वगैरह बनाम महिपाल सिंह वगैरह के साथ पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 20.06.2017 को हो जाने के बाद इस निर्णय के विरूद्व अपील लादूसिंह ने मान्य न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 29.06.2017 को पेश की थी, जिसमें खण्ड संख्या 3 व 4 में कथन करते हुए स्वीकारोक्ति की है इससे स्पष्ट है कि उक्त वाद ग्रस्त आरजाी उभय पक्षकारान की पैतृक भूमि साबित होती है। यह है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ गलत तथ्यों पर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष उनवानी लादूसिंह वगैरह बनाम महिपाल सिं घगैरह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जो सुनवाई बाद श्रीमान न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2017 को खारिज फरमा दिया था। एवं एक वाद झुठे तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट विराटनगर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें विद्युत कनेक्शन को उक्त वाद के वादीगण यानि महिपाल सिंह वगैरह के नाम से पुनः चालू नहीं कवाने की रिलीफ चाही थी, इसके बाद भी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था जिसमें भी दिनांक 07.06.2017 को उभय पक्षों को अन्तरिम स्टेज पर सुना जाकर विद्युत कनेक्शन को पुनः चालू नहीं करवाने की रिलीफ को खारिज फरमाते हुए विधुत विभाग को कनेक्शन को चालू करने के आदेश दिए गए थे। यह है कि प्रतिवादीगण ने अन्य लोगों के साथ मिलकर वादीगण के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना रखा है जिससे प्रतिवादीगण, वादीगण के हक अधिकार व हिस्से की उक्त हाल खसरा नंबरान में स्थित 0.51 हैक्टेयर भूमि में से जो 0.3825 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम अधिक दर्ज हो गई है से जबरन बेदखल कर उस पर कब्जा कर लेगें या उसे किसी दीगर व्यकित के नाम रहन बय हस्तान्तरण विक्रय डीड पंजीबद्व करा देगे तो इससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि से किया जाना संभव नहीं है। अतः निवेदन है कि ग्राम लुहाकना खुर्द खसरा नंबर 342/0.01, 343/0.58, 344/0.60, 345/0.35, 346/0.65, 347/0.39, 348/0.32, 349/0.34, 350/0.03, 351/0.60, 352/0.64, 353/0.08 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज गोविन्द सिंह पुत्र चान्द सिंह के हिस्सा 1/3 यानि 1.53 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हक हिस्से की 1/9 भाग की भूमि यानि 0.51 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हक हिस्से की 0.3825 हैक्टेयर भूमि तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हिस्से की 0.3825 हैक्टेयर भूमि यानि दोनों की 0.765 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम उनके हक हिस्से से ज्यादा अंकित है, में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम हजफ

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

फरमाया जाकर उसकी जगह वादीगण के नाम 0.3825 हैक्टेयर एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम 0.3825 हैक्टेयर भूमि के हक हिस्से की घोषणा खातेदारी की जावे तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में उसका अमल दरामद करवाया जावे राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की डिक्री प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ भी फरमाई जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को अपने हक हिस्से में प्राप्त भूमि की कब्जा काश्त में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल एवं बाधा कारित नहीं करें तथा ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट या संस्थापन्नो से ही करावें।

2. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम लुहाकना साबिक संवत् 2012–2027 , नकल मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा लुहाकना संवत् 1988 किता–2, नकल साबिक खतौनी ग्राम लुहाकना खाता संख्या 107 संवत् 2012–2027, नकल साबिक जमाबंदी ग्राम लुहाकना खाता संख्या 131 संवत् 2022, नकल साबिक जमाबंदी ग्राम लुहाकना संवत् 2034–2037, नकल साबिक जमाबंदी ग्राम लुहाकना संवत् 2026, नकल मिलान क्षेत्रफल किता–2, नकल हाल जमाबंदी ग्राम लुहाकना खुर्द खसरा नंबर 342 से 353 संवत् 2070–2073, नकल हाल जमाबंदी खसरा नंबर 1370 संवत् 2070–2073, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुहाकना संवत् 2012–2014, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुहाकना संवत् 2015–2018, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुहाकना संवत् 2027–2030, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम लुहाकना संवत् 2031–2034 आदि पेश किए गये।

3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए, जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। नाबालिगान की तरफ से एडवोकेट श्री आनंद सिंह शेखावत को कोर्टवल्ली नियुक्त किया गया।

4. प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के प्रस्तुत जवाब दावा में कथन रहे कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबर कुल किता 12 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर भूमि हिस्सा 1/4 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की पैतृक खातेदारी भूमि है एवं हिस्सा 1/4 की भूमि जो कि मूलसिंह पुत्र माधोसिंह के हिस्से की थी, मूलसिंह के नाऔलाद फौत होने से उनके परिवारजनों को विरासत के आधार पर मिली है, उसमें वादीगण हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार अवश्य है। यह है कि वाद पत्र में दर्शित सजरा खानदान में वादीगण ने मृतक भंवर पत्नि हजारी सिंह एवं तेजसिंह पुत्र हजारी सिंह के वारिसों को सजरा खानदान में जान बूझकर नहीं दिखाया है, जबकि इनके फौत होने की वादीगण को जानकारी रही है। यह है कि वाद पत्र में अंकित साबिक खसरा नंबर 18 बीघा 2 बिस्वा के पूराने खसरा नंबर 139, 141, 145, 147, 148 के अलावा 146 भी रहे है, वादीगण द्वारा वाद पत्र के इस खण्ड संख्या 4 में वर्णित खातेदारों की हिस्सेदारी का उल्लेख नहीं किया है, मिसल हकीकत बंदोबसत के समय खातेदार माधोसिंह व गोम सिंह व सरदार सिंह व हरिसिंह पिता चान्द सिंह बहिस्सा बराबर 5 हिस्सा, दुरजन सिंह वल्द सुजान सिंह

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हिस्सा 1 कौम राजपूत दर्ज रिकॉर्ड है, जो खुद काश्त के हिसाब से 4 व्यक्तियों के 5 हिस्सा एवं पांचवे व्यक्ति के 1 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, इससे जाहिर है कि इन व्यक्तियों के बराबर–बराबर हिस्से दर्ज रिकॉर्ड थे, बल्कि कब्जा काश्त के हिसाब से हिस्से दर्ज रिकॉर्ड थे एवं मिसल हकीकत बन्दोबसत संवत् 1988 के खाता संख्या 85 में इन खसरा नंबरो के अलावा खसरा नंबर 128 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, 572 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा, 575 रकबा 9 बीघा भूमि सहित कुल किता 9 कुल रकबा 66 बीघा 10 बिस्वा भूमि रही है। यह है कि मिसल हकीकत बन्दोबस्त संवत् 1988 के खाता संख्या 85 में दर्ज खसरा नंबराने के रकबे में माधोसिंह व गोमसिंह व सरदार सिंह व हरिसिंह के 5 हिस्सा एवं दुरजन सिंह पुत्र सुजान सिंह के 1 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है वादीगण द्वारा वर्णित सजरा खानदान में दिखाए गए चांद सिंह के पुत्र सवाई सिंह व भरताज सिंह का नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड नही था, सवाई सिंह वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट जीवित था, परनतु वाद ग्रस्त आराजी की काश्त नहीं करता था, जिससे चांद सिंह का वारिस होने एवं वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट 1955 से पूर्व हरूसिंह उर्फ हरिसिंह के नाऔलाद फौत होने के बाद भी खातेदारी में सवाई सिंह का नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं हुआ मिसल हकीकर बंदोबस्त में भूमि 66 बीघा 10 बिस्वा का खाता था और वरवक्त लागू टीनेन्सी एक्ट वाद ग्रस्त भूमि के खाते साबिक खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012–2027 के खाता संख्या 95 में साबिक खसरा नंबर 171, 172, 173, 178, 179, 180 कुल किता 6 कुल रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा ही दर्ज रिकॉर्ड है जो वरवक्त लागू टीनेन्सी एक्ट जो व्यक्ति काबिज होकर काश्त कर रहा था उसी हिसाब से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गयी थी न कि विरासत के आधार पर इसी वजह से वादीगण के पिता समुन्द्र सिंह का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ न ही सवाई सिंह पुत्र चांद सिंह का ना ही दर्ज हुआ। वादीगण ने जान–बूझकर हकीकत को छुपाने के लिए मिसल हकीकत के खाता संख्या 85 की शेष भूमि 48 बीघा 08 बिस्वा के संबंध में खुलासा नहीं किया है कि वह भूमि कहां गई। यह है कि माधोसिंह के पुत्र मूलसिंह साबिक सैटलमेंट के बाद फौत होने से मुताबिक सजरा खानदान उनके हिस्से की भूमि मृतक की मृत्यु के समय जीवित उनके परिवारजन गोविन्द सिंह के वारिस सरदार सिंह के वारिस एवं सुजान सिंह के वारिसों में 1/3–1/3 विरासत के आधार पर दर्ज होना सही हैं। वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट से पूर्व से ही उक्त भूमि की काश्त सुजान सिंह का बेटा दुर्जन सिंह करता था इसी वजह से सुजान सिंह के बडे बेटे बच्चन सिंह का नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसी प्रकार गोविन्द सिंह का पुत्र समुद्र सिंह वादीगण संख्या 1 लगायत 3 का पिता भी वादग्रसत आराजी की काश्त नहीं करता था, जिससे उसका नाम भी खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड नहीं हुआ, कहने का तात्पर्य यह है कि महज मिसल हकीकत बंदोबस्त संवत् 1988 में गोविन्द सिंह पुत्र चांद सिंह का नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से ही उकत भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि वरवक्त लागू टीनेन्सी एक्ट जो व्यक्ति जितनी जमीन की काश्त करता था, उसके नाम उतनी भूमि की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई है, प्रतिवादीगण के पिता वरवक्त लागू टीनेन्सी एक्ट 1955 वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/4 की काश्त करते थे, जिससे उनके

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड हुआ है, जिससे वादीगण या उनके पिता व पति समुन्द्र सिंह का किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है उमराव सिंह के कब्जे काश्त की भूमि पैतृक भूमि के आधार पर उनके भाई ओंकार सिंह व हजारी सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हुई, बल्कि उनके नाऔलाद फौत होने से विरासत में उनके भाईयों के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है जहां तक श्योनारायण सिंह की भूमि का सवाल है श्योनारायण सिंह के प्रतिवादीगण विधिक वारिस है वादीगण को उनके हिससे की भूमि में कोई हक नहीं बनता है। मूलसिंह के नाऔलाद फौत होने से उनके हिस्से की भूमि अवश्य विरासत के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है। एवं उसी पर वादीगण का कब्ता काश्त है वादीगण ने सम्पूर्ण आराजी पर हिस्सा 1/9 की काश्त करने कर तथ्य गलत एवं मनमाना दर्ज करवाया है। यह है कि मिलस हकीकत बन्दोबस्त में गोविन्द सिंह का नाम दर्ज होने मात्र से भूमि पैतृक नहीं हो जाती है क्योकि जिस व्यक्ति ने जितनी भूमि की काश्त की वरवक्त लागू होने कीनेन्सी एक्ट उस व्यक्ति को उतनी ही भूमि की खातेदारी दी गयी थी, इसी वजह से सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादीगण के पिता का नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं हुआ। वादीगण किसी भी कदर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने एवं अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। यह है कि वादीगण मूलसिंह पुत्र माधोसिंह के नाऔलाद फौत होने पर उनकी विरासत के आधार पर खातेदार बने है एवं उनके 1/4 हिस्से के हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/3 यानि हिस्सा 1/9 दर हिस्सा 1/4 के ही हिस्से है। यह है कि वादीगण ने वाद पत्र में तथ्यों को तोड–मरोडकर पेश किया है जब लादू सिंह बनाम मलखान सिंह वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन था और उस वाद में इस वाद के वादीगण महिपाल सिंह वगैरह पक्षकार मुकदमा थे, तब वादीगण महिपाल सिंह वगैरह ने एक और वाद सिर्फ इसलिए पेश किया है कि येन–केन प्रकारेण धन बल या लाठी के बल से लादूसिंह वगैर की खातेदारी भूमि में से हिस्सा ले लेवे और वाद लादूसिंह बनाम महिपाल सिंह वगैरह में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1370/1.26 हैक्टेयर जो पहले सिवायचक भूमि थी, का पूराने कब्जे काश्त के आधार पर नियमन हुआ था और प्रशासन गांवो के संग अभियान में शिविर के समक्ष इस वाद के वादीगण महिपाल सिंह वगैरह के पिता समुन्द्र सिंह ही उपस्थित थे, जिस वजह से श्योनारायण सिंह, समुन्द्र सिंह पिता गोविन्द सिंह, हनुमान सिंह, पूरण सिंह पिता कानसिंह के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि का नियमन अकेले समुन्द्र सिंह उपस्थित व्यक्ति के नाम से हो जाने से उस भूमि में प्रतिादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा नहीं देना पड़े, अन्यथा में पूर्व लंबित वाद में ही इस वाद के वादीगण को अपना पक्ष रखने एवं काउन्टर वाद लाने का पूर्ण हक रहा है। यह है कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर ने अपील संख्या 01/2018 बदनवान लादूसिंह बनाम महिपाल सिंह ने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2018 वादग्रस्त खसरा नंबर 1370 को बेचान नहीं करने पर पांबदी जारी कर रखी है एंव सिविल न्यायालय ने वादग्रस्त खसरा नंबनर 1370 के बाहर कृषि विधुत कनेक्शन को शिफ्ट नहीं करने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रखी है जबकि कृषि विधुत कनेक्शन वर्तमान में हाल खसरा नंबर 1370/1623 में संयुक्त रूप से बनवाये गए चाह पर लगा हुआ है। खसरा नंबर 1371 की भूमि कभी भी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

गोविन्द सिंह के नाम नहीं रही व न ही गोविन्द सिंह इस आराजी को काश्त ही की प्रतिवादीगण लादूसिंह वगैरह ने वादीगण महिपाल सिंह वगैरह को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी, बल्कि महिपाल सिंह वगैरह ही प्रतिवादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। तथा जवाब दावा में विशेष कथन रहे कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद पहले वर्ष 2016 में ही दावा लादूसिंह बनाम महिपाल सिंह वगैरह पेश किया जा चुका है, जिसमें इस वाद के सभी खसरा नंबरो का वाद विचाराधीन है एंव इस वाद के वादीगण उस वाद के प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार मुकदमा है, जिससे अतिरिक्त वाद लाने का कोई औचित्य नहीं है, जिससे वादीगण का वाद विचाराधीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। यहे कि विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि एक ही विवाद विषय पर एक से अधिक वाद नहीं चल सकते, इससे वादों की बहुलता बढती है एंव विपरीत निर्णय आने की भी आशंका रहती है ऐसे में वाद की बहुलता को रोकने के लिए भी पश्चावर्ती वाद खारिज किए जाने योग्य है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज किए जाने की कृपा करें।

5. विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैराकार सरकार बहस सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की तरफ से राजीनाम पेश किया गया, जिसमें कथन रहे कि हाल खसरा नंबर 342/0.01, 343/0.58, 344/0.60, 345/0.35, 346/0.65, 347/0.39, 348/0.32, 349/0.34, 350/0.03, 351/0.60, 352/0.64, 353/0.08 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर वाके ग्राम लुहाकना खुर्द पटवार हल्का लुहाकना कलां तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0 में उक्त भूमि में गोविन्द सिंह पुत्र चांद सिंह का हिस्सा 1/3 है, इस कारण यह पैतृक खातेदारी की भूमि है, जो अब रिकॉर्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है, इसलिए इस पैतृक खातेदारी की भूमि होने से वादीगण लादू सिंह वगैरह के वर्तमान रिकॉर्ड में से हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/3 यानि उक्त सम्पूर्ण भूमि में से 0.51 हैक्टेयर वादीगण लादू सिंह वगैरह का रहेगा एवं हनुमान सिंह के वारिस व पूरण सिंह पुत्र कान सिंह का हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/3 यानि उक्त सम्पूर्ण भूमि में से 0.51 हैक्टेयर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 महिपाल सिंह, नन्द सिंह, रोहिताश सिंह, शोभा कवंर का हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/3 यानि उक्त सम्पूर्ण भूमि में से 0.51 हैक्टेयर रहेगा एवं इसी हिसाब से मौके पर काबिज काश्त है व रहेगें।
7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण, प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम लुहाकना खुर्द के हाल खसरा नंबर 342/0.01,343/0.58,344/0.60, 345/0.35,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

346/0.65, 347/0.39, 348/0.32, 349/0.34, 350/0.03, 351/0.60, 352/0.64, 353/0.08 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर में गोविन्द सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड हिस्सा 1/3 में से वादीगण को हिस्सा 1/3, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को हिस्सा 1/3 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिए जाते है कि आवश्यक अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 14.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. महिपाल सिंह
2. नन्द सिंह
3. रोहिताश सिंह

} पुत्रान स्व. समुद्र सिंह

4. शोभाग कंवर पत्नि स्व. समुद्र सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. लादू सिंह
2. मलखान सिंह

} पुत्रान श्योनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

3. सुगन कंवर पुत्री स्व0 श्योनारायण सिंह पत्नि आनंद सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी मु.पो. गोला तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।
4. सुरेश कंवर पुत्री स्व0 श्योनारायण सिंह पत्नि चमन सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी मु.पो. गोला तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

6. पूरण सिंह पुत्र स्व0 कान सिंह
7. सन्तोष कंवर पत्नि स्व0 हनुमान सिंह पुत्र कान सिंह
8. मुकेश सिंह पुत्र स्व0 हनुमान सिंह

} समस्त जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तह0 विराटनगर जयपुर

9. आशा कंवर पुत्री स्व0 हनुमान सिंह पत्नि भंवर सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी गोला तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।
10. पुष्पा कंवर पत्नि स्व0 मनोज सिंह पुत्र हनुमान सिंह
11. अनिल सिंह पुत्र स्व0 मनोज सिंह
12. राशि कंवर पुत्र स्व0 मनोज सिंह

} नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता पुष्पा कंवर पत्नि स्व. मनोज सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 14/2020 **संशोधित** **दावा बाबत घोषणा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गापोल टांक, एडवोकेट वादीगण** व हाजरी .....मिन जानिब मुददई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत, प्रतिवादगण व तरतीबी प्रतिवादीगण** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि ग्राम लुहाकना खुर्द खसरा नंबर 342/0.01, 343/0.58, 344/0.60, 345/0.35, 346/0.65, 347/0.39, 348/0.32, 349/0.34, 350/0.03, 351/0.60, 352/0.64, 353/0.08 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कुल किता 12 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज गोविन्द सिंह पुत्र चान्द सिंह के हिस्सा 1/3 यानि 1.53 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हक हिस्से की 1/9 भाग की भूमि यानि 0.51 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हक हिस्से की 0.3825 हैक्टेयर भूमि तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हिस्से की 0.3825 हैक्टेयर भूमि यानि दोनों की 0.765 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम उनके हक हिस्से से ज्यादा अंकित है में प्रतिादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम हजफ फरमाया जाकर उसकी जगह वादीगण के नाम 0.3825 हैक्टेयर एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम 0.3825 हैक्टेयर भूमि के हक हिस्से की घोषणा खातेदारी की जावे तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में उसका अमल दरामद करवाया जावे राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की डिक्री प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ भी फरमाई जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को अपने हक हिस्से में प्राप्त भूमि की कब्जा काश्त में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल एवं बाधा कारित नहीं करें तथा ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट या संस्थापन्नो से ही करावें।

सुना गया। पत्रावली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम लुहाकना खुर्द के हाल खसरा नंबर 342/0.01, 343/0.58, 344/0.60, 345/0.35, 346/0.65, 347/0.39, 348/0.32, 349/0.34, 350/0.03, 351/0.60, 352/0.64, 353/0.08 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर में गोविन्द सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड हिस्सा 1/3 में से वादीगण को हिस्सा 1/3, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को हिस्सा 1/3 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिए जाते है कि आवश्यक अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 14.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 14.07.2020** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)